

भाग-IV
(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाँच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	खरगोन एवं बड़वानी जिले के अंतर्गत वन मंडल, बड़वाह/संधवा की 39.437 हेक्टेयर वन भूमि 765 के.व्ही. डबल सर्किट हेक्सा खण्डवा-धुले विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु प्रोजेक्ट हेड, खरगोन ट्रांसमिशन लिमिटेड, सनावद को उपयोग हेतु देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

तिथि: 06.07.2017
स्थान: भोपाल


 6/7/17
(SUNIL AGRAWAL)
 I.F.S.
 Addl. Principal Chief Conservator of Forests
 (Land Management)
 Madhya Pradesh, Bhopal